लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, शुक्रवार, 28 फरवरी, 1969/9 फाल्गुन, 1890 (शक)

No. 10, Friday, February 28, 1969/Phalguna 9, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सामान्य आयव्ययक, 1969-70 उपस्थापित	General Budget 1969-70—Presented	1—17
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai ..	1—17
वित्त विधेयक, 1969—पुरस्थापित	Finance Bill, 1969—Introduced	18

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 28 **फरवरी**, 1969/9 **फाल्गुन**, 1890 **(शक)**
Friday, February 28, 1969/Phalguna 9, 1890 (Saka)

लोक-सभा 5-00 **म० प० बजे समवेत हुई**
The Lok Sabha met at Seventeen of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सामान्य आयव्ययक–1969-70
GENERAL BUDGET—1969-70

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि का पहला बजट पेश कर रहा हूं। इस काम में मेरी कठिनाई यह है कि आयोजना का प्रलेख अभी माननीय सदस्यों को नहीं मिला है। इस समय तो मैं केवल सूत्रधार के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जिसका काम नाटक प्रारम्भ होने से पहले कुछ समय के लिए रंगमंच पर आकर नाटक में दर्शकों की रुचि बढ़ाना होता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य कम से कम इस कारण निराश नहीं होंगे कि मेरा भाषण छोटा है।

प्रस्तावना

2. चालू वर्ष, जो अब समाप्त हो रहा है, भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए अच्छा वर्ष साबित हुआ है। अपने पिछले बजट भाषण में मैंने यह आशा प्रकट की थी कि यदि सही नीतियां अपनायी जायं तो 1968-69 का वर्ष पुनरुत्थान का वर्ष हो सकेगा। यह आशा बहुत हद तक पूरी हो गयी है। इस वर्ष भी, पिछले वर्ष की तरह, अन्न की फसल सन्तोषजनक होने की उम्मीद है। औद्योगिक पुनरुत्थान के साफ चिह्न दिखाई दे रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में अनुमानतः लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिवहन का काम और व्यापार दोनों फिर बढ़ें हैं। बिजली या कच्चे माल की ज्यादा कमी नहीं हुई है। मूल्यों का सामान्य स्तर इस समय पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम है। निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। आयोजनाओं के दौरान जो प्रयत्न किये गये हैं उनके कारण अब देश में ही ऐसी बहुत-सी चीजें तैयार की जा रही हैं जो पहले विदेशों से

मंगायी जाती थीं । यद्यपि 1967-68 की अपेक्षा ऋण-शोधन का भार अधिक है और विदेशी सहायता का उपयोग कुछ कम हुआ है, तो भी सम्भवत: चालू वर्ष में हमारी विदेशी मुद्रा की रकम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा । इस प्रकार, कृषि के काम में नयी चेतना आ गयी है, उद्योगों का पुनरुत्थान हो रहा है, मूल्य फिर स्थिर हो गये हैं और हम स्वावलम्बन के लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं । ऐसी स्थिति के आधार पर हम अब अगली पंचवर्षीय आयोजना का काम काफी आत्मविश्वास के साथ शुरू कर सकते हैं । फिर भी, बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण अपनी इच्छा के अनुसार तुरन्त काम करने का हमारा दायरा बहुत-कुछ सीमित हो जाता है ।

3. यद्यपि अन्न की पैदावार बढ़ गयी है, तो भी देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए अन्न का सन्तोषजनक प्रबन्ध करने के लिये हमें अभी बहुत प्रयत्न करना है । कृषिजन्य कच्चे माल और अन्न का आयात अब भी काफी हो रहा है । इसलिये हमारे सीमित साधनों से कृषि में जिसके अन्तर्गत अनुसन्धान, रासायनिक खाद और पानी जैसी खेती के लिए आवश्यक चीजें और किसानों को ऋण देने तथा अनाज के संग्रह की सुविधाएं भी आती हैं, पूंजी लगाने की प्रथम आवश्यकता है । इतनी आवश्यकता केवल परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में है ।

4. पूंजीगत माल बनाने के उद्योग-धन्धों का देश में काफी विकास हो चुका है । इसलिये अधिक निवेश करना आवश्यक और साथ ही सम्भव भी हो गया है । पर अनुचित मूल्य-वृद्धि हुए बिना निवेश का बढ़ते रहना इसी आधार पर सम्भव है कि आम खपत की जरूरी चीजों का उत्पादन बढ़ता रहे । इसके लिए यह जरूरी है कि कृषि की उत्पादकता के साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग-धन्धों में भी कुशलता और उत्पादन-क्षमता ज्यादा हो । इन उद्योग-धन्धों की ओर ध्यान देना इसलिए विशेषरूप से आवश्यक है कि ऐसा करने से उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रेरणा मिलती है और सरकार की आमदनी भी बढ़ती है ।

5. इस वर्ष हम राष्ट्र-पिता की जन्म-शताब्दी मना रहे हैं और हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्थिक विकास का अन्तिम ध्येय कई वांछनीय सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करना है । इसलिए बुनियादी सुविधाओं, जैसे पीने के पानी की सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा-सहायता और काम करने के अवसर के सम्बन्ध में तथा वस्तुत: सामान्य समता की बढ़ती हुई मात्रा के सम्बन्ध में, जो समाजवादी समाज का आधार है, लोगों की जो स्वाभाविक आकाक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करना भी हमारे लिए आवश्यक है ।

6. वैदेशिक क्षेत्र में जो सुधार हुआ है वह उतना ही उल्लेखनीय है जितना वांछनीय है ; फिर भी निर्यात से होने वाली हमारी आमदनी इस समय आयात-सम्बन्धी हमारी वर्तमान आवश्यकता का केवल दो तिहाई भाग है । इसलिए निर्यात बढ़ाने और विदेशों से मंगायी जाने वाली चीजों का देश में उत्पादन करने के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त होकर बैठे नहीं रह सकते । 1965-66 और 1966-67 की असाधारण परिस्थितियों के कारण अर्थ-व्यवस्था में बचत की

दर कम हो गयी है। साधन जुटाने के बहुत प्रयत्न किये जाने और व्यय पर बहुत नियन्त्रण रखे जाने पर भी पिछले कुछ वर्षों में सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई है।

7. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अगली पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में विस्तृत क्षेत्र में फिर प्रगति शुरू करने के लिये देश की सामान्य आर्थिक स्थिति अनुकूल है। पर, खपत और निवेश के बीच साधनों और परिव्यय के बीच, आर्थिक विकास और वैदेशिक भुगतान-क्षमता के बीच और वस्तुतः बड़े सामाजिक लक्ष्यों और विशुद्ध आर्थिक विचारों के बीच ठीक ठीक सन्तुलन बनाये रखने की भी आवश्यकता है। माननीय सदस्य अब यह देखेंगे कि प्रायः आर्थिक योजना बनाने वालों की गिनती सरकस में रस्सी पर चलकर तरह-तरह के करतब दिखाने वालों की कला के सर्वोत्तम निदर्शकों में क्यों की जाती है।

1968-69 के संशोधित अनुमान

8. मैंने वर्तमान आर्थिक स्थिति की संक्षेप में चर्चा की है और थोड़े में यह भी बता दिया है कि भविष्य में कौन-से कार्य किये जाने हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा करते हुए मैंने योजना-आयोग के अधिकार-क्षेत्र में दखल नहीं दिया है। अब मुझे ज्यादा दुनियावी बातों का जिक्र करना है जो वित्त मन्त्रियों के भाग्य में बदा होता है। 1968-69 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, सीमा-शुल्क-राजस्व में, पिछले फरवरी मास में प्रस्तुत किये गये अनुमानों की तुलना में, 94 करोड़ रुपये की कमी होगी। इसके विपरीत, उत्पादन-शुल्कों और आयकर से 54 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त होने की आशा है। कर से भिन्न राजस्व को जोड़ने पर, ऐसा अनुमान किया जाता है कि केन्द्र को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में 11 करोड़ रुपये की ही कमी होगी जब कि 2760 करोड़ रुपये की वसूली प्रत्याशित थी।

9. राजस्व-खाते का व्यय 2629 करोड़ रुपये के बजट-अनुमान से सम्भवतः 116 करोड़ रुपया बढ़ जायगा। इस वृद्धि का लगभग आधा भाग हिसाब-किताब में किये जाने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है और वह भी पूंजी खाते के उतने ही लाभ से प्रतिसन्तुलित हो जाता है। 49 करोड़ रुपये के और व्यय का कारण राजस्व-खाते का रक्षा-सम्बन्धी अधिक व्यय है। इस अधिक व्यय के ये कारण हैं—कुछ श्रेणियों के रक्षा-सेवा कर्मचारियों के भत्तों में वर्ष के दौरान की गयी वृद्धि ; मंहगाई भत्ता जो पिछले सितम्बर में देय हो गया था ; मंहगाई भत्ते का कुछ भाग वेतन में मिला देने का हाल का फैसला ; और वर्तमान आर्डरों के आधार पर सामान का अधिक शीघ्रता से प्राप्त होना। पूंजी खाते में, रक्षा सम्बन्धी व्यय में 13 करोड़ रुपये की कमी हुई है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि यदि रक्षा-सम्बन्धी व्यय में हुई वृद्धि को और केवल हिसाब किताब में दिखाये जाने वाले व्यय को छोड़ दिया जाय, तो राजस्व-खाते का व्यय बजट-अनुमान की अपेक्षा एक प्रतिशत से भी कम बढ़ा है।

10. पूंजी-खाते में अधिक परिवर्तन हुए हैं। वास्तविक विदेशी सहायता में 121 करोड़ रुपये की और पी० एल० 480 सम्बन्धी तथा दूसरी अन्न-सहायता में 43 करोड़ रुपये की कमी

होगी। यह कमी कुछ हद तक इन बातों से प्रतिसन्तुलित हो जायगी—बाजार-ऋणों में होने वाली वृद्धि ; अन्न और रासायनिक खाद की खरीद आदि के लिए की जाने वाली व्यवस्था में कमी और आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय में कुछ कमी। दूसरी मदों के अन्तर्गत भी बहुत-से परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण, कुल मिलाकर, साधनों सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ है।

11. कुल मिलाकर, अब यह अनुमान है कि इस वर्ष बजट-सम्बन्धी कमी, बजट अनुमान के 290 करोड़ रुपये के मुकाबले, 260 करोड़ रुपया होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य घाटे की वित्त-व्यवस्था में हुए इस 10 प्रतिशत के परिवर्तन को इस बात का सबूत नहीं मानेंगे कि मैंने बजट-अनुमान बहुत कम लगाये थे।

1969-70 के बजट अनुमान

12. अब मैं 1969-70 के बजट-अनुमानों की चर्चा करता हूं। मैंने यह अनुमान लगाया है कि करों की वर्तमान दरों के अनुसार केन्द्र को कुल मिलाकर 151 करोड़ रुपया अधिक राजस्व प्राप्त होगा। मेरा अनुमान है कि सीमा-शुल्क-प्राप्तियों में और कमी हो जायगी, अर्थात् ये प्राप्तियां 1969-70 में 426 करोड़ रुपया ही होंगी जब कि इस वर्ष ये 445 करोड़ रुपया हैं। इस कमी का आधार यह अनुमान है कि जहां अन्न से भिन्न वस्तुओं के कुल आयात में कुछ वृद्धि होगी वहां पेट्रोलियम पदार्थों जैसी उन वस्तुओं का आयात बहुत कम हो जायगा जिन पर शुल्क की अधिक ऊंची दरें लगी हुई हैं। अनुमान है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से होने वाली प्राप्ति में 101 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। निगम-कर और आयकर से सम्भवतः 675 करोड़ रुपया प्राप्त होगा जबकि इस वर्ष उनसे 660 करोड़ रुपया मिलेगा। कर से भिन्न राजस्व में भी अनुमानतः 50 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

13. पर, राजस्व में होनेवाली वृद्धि से राजस्व खाते के व्यय में अधिक वृद्धि होगी। राजस्व खाते के रक्षा-सम्बन्धी व्यय में 42 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। हिसाब-किताब में किये जाने वाले कुछ समायोजनों को छोड़ दिया जाय, तो आयोजना-व्यय से भिन्न असैनिक व्यय में 142 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसमें से 41 करोड़ रुपये की रकम ब्याज-प्रभारों की है। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को 36 करोड़ रुपये की और रकम हस्तान्तरित करना आवश्यक हो गया है। आयोजना-गत जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनसे सम्बन्धित वचन-बद्ध व्यय में लगभग 35 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों पर किये जाने वाले व्यय में 10 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। शेष वृद्धि प्रशासनिक सेवाओं, कर-संग्रह और पड़ोसी देशों की सहायता समेत कई विविध मदों के अन्तर्गत हुई है। विस्तृत विवरण, हमेशा की तरह, व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

14. पूंजी खाते के सम्बन्ध में यह अनुमान है कि बाजार ऋणों से अगले वर्ष 106 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम प्राप्त होगी जबकि इस वर्ष 81 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई है।

छोटी बचतें 135 करोड़ रुपया आंकी गयी हैं—अर्थात् चालू वर्ष की अपेक्षा 10 करोड़ रुपया अधिक। पर इस वृद्धि का लगभग दो तिहाई हिस्सा राज्यों को मिलेगा। लोक भविष्य निधि से इस वर्ष के 2 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष सम्भवतः 5 करोड़ रुपया मिलेगा। दूसरी ओर, अनिवार्य जमा की किसी समय प्रसिद्ध किन्तु अब प्रायः विस्मृत योजना का प्रवर्तक होने के नाते में 1963-64 में करायी गयी जमा की वापसी के लिये 25 करोड़ रुपये की पूरी व्यवस्था करना चाहता हूं।

15. पी० एल० 480 सम्बन्धी और दूसरी अन्न सहायता को छोड़ देने पर, वास्तविक विदेशी सहायता में 1969-70 में सम्भवतः कुछ वृद्धि होगी। इस वर्ष इस सहायता की रकम 459 करोड़ रुपया है ; अगले वर्ष वह अनुमानतः 467 करोड़ रुपया हो जायगी। चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम बढ़ जायगी, पर हमारा अनुमान है कि सहायता की प्राप्ति भी मुख्यतः इस कारण बढ़ेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने फिर सहायता देना शुरू कर दिया है।

16. दिसम्बर, 1968 में हमने 23 लाख मेट्रिक टन अन्न के आयात के लिए पी० एल० 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ एक करार किया। इसके अलावा हमें कनाडा से काफी अधिक परिमाण में अन्न-सहायता और आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन से भी अन्तर्राष्ट्रीय अन्न प्रबन्ध के अन्तर्गत कुछ सहायता मिलती रही। इस प्रकार, जो अन्न-सहायता मिलना तय हो गया है उसमें से अधिकतर सहायता का आयात अगले वर्ष ही होगा। माननीय सदस्य यह भी महसूस करेंगे कि अन्न और कृषि-सम्बन्धी कच्चे माल के रियायती आयात का प्रबन्ध अभी और कुछ समय तक आवश्यक होगा। इसलिए पी० एल० 480 सम्बन्धी अनुदानों को छोड़कर, जिनका जिक्र राजस्व-अनुमानों में किया गया है, पी० एल० 480 सम्बन्धी लेन-देनों और दूसरी अन्न-सहायता के फलस्वरूप बजट के लिये वास्तविक रूप में प्राप्त होने वाली सहायता अगले वर्ष के लिए 224 करोड़ रुपया आंकी गयी है जबकि वह इस वर्ष के लिये 226 करोड़ रुपया आंकी गई है।

17. देश के अन्दर लिये जाने वाले ऋणों और विदेशी सहायता से मिलने वाली रकम में 13 करोड़ रुपये की जो वृद्धि होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पूंजी खाते की रक्षा सम्बन्धी व्यय में 17 करोड़ रुपये की और सीमावर्ती सड़कों सम्बन्धी व्यय में 4 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

18. जहां तक अन्य पूंजीगत लेन-देनों का सम्बन्ध है, अन्न और रासायनिक खाद दोनों के लेन-देनों से 76 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति होगी। अन्न निगम (फूड कारपोरेशन) के पास मार्च, 1969 के अन्त में सम्भवतः कुल 35 लाख मेट्रिक टन अन्न का संग्रह हो जायगा। हम चाहते हैं कि अगले वर्ष इसमें और 15 लाख मेट्रिक टन अन्न की वृद्धि कर दी जाय। हमारा इरादा है कि इस काम के लिये 1969-70 के बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाय। आवश्यक रकम का शेष भाग अन्न निगम को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिया जायगा।

19. अन्न और रासायनिक खाद के लेन-देनों से होने वाली अधिक प्राप्ति राजस्व खाते और पूंजी खाते में होने वाली पूर्वोक्त व्यय-वृद्धियों से और विभिन्न विविध ऋण-जमा शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली कम प्राप्तियों से समाप्त हो जायगी। मुझे राज्यों द्वारा केन्द्र को चुकायी जाने वाली रकमों में कुछ फेर-बदल करके उन्हें कुछ राहत पहुंचाने की और कुछ राज्यों के आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय के लिए धन की कमी दूर करने के लिए उनकी सहायता करने की भी व्यवस्था करनी पड़ी है ताकि राज्य अगले वर्ष संतोषप्रद आयोजना का काम शुरू कर सकें। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि करों की वर्तमान दरों और देश के अन्दर लिए जाने वाले ऋणों तथा विदेशी सहायता से जितने साधन उपलब्ध हो सकेंगे, उनसे केन्द्रीय सरकार के अगले वर्ष के बजट में आयोजना के लिए और अधिक व्यवस्था करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

20. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बजट-सम्बन्धी अंशदान में अगले वर्ष चालू वर्ष की तुलना में सम्भवतः कोई खास वृद्धि नहीं होगी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने और सरकारी उद्यम कार्यालय (ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज) ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के और अच्छी तरह काम करने के प्रश्न की विस्तार से छानबीन की है। सरकार इन उपक्रमों के काम को सुधारने के लिए कई फैसले कर चुकी है। मैं इस विषय पर एक ज्ञापन माननीय सदस्यों में अलग से वितरित करा रहा हूं।

21. माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि क्या आयोजना के लिए उपलब्ध साधन, आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय कम करके, बढ़ाये नहीं जा सकते थे। मैंने अगले वर्ष के व्यय के अनुमान तैयार करते समय इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। पर माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि आयोजना-व्यय से भिन्नव्यय में कुछ वृद्धि होना तो अनिवार्य है क्योंकि वह संविदागत दायित्व (काण्ट्रैक्चुअल आब्लिगेशन) या पहले किये जा चुके फैसलों के कारण होती है। असैनिक व्यय में जो वृद्धि होती है उसमें से अधिकतर वृद्धि पूरी की गयी आयोजनागत योजनाओं को आयोजना के क्षेत्र से अलग किये जाने से, व्याज-प्रभारों से, निर्यात-प्रोत्साहन से, महंगाई भत्ते सम्बन्धी व्यय से, महंगाई भत्ता वेतन में मिलाये जाने से और वित्त आयोग की सिफारिशों से होती है। ये सब बातें संविदागत दायित्व या पहले किये जा चुके फैसलों की कोटि में आती हैं। रक्षा-सम्बन्धी व्यय में होने वाली 59 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—वेतनों और पेंशनों में होने वाली सामान्य वृद्धि, अतिरिक्त महंगाई भत्ता जो पिछले सितम्बर में देय हो गया, महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाना, रक्षा-मन्त्रालय के अधिकार में स्थित उत्पादन-एककों में लगाई जाने वाली अतिरिक्त सामान्य शेयर पूंजी और पहले की गयी संविदाओं के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक सामान की प्राप्ति।

22. मुझे अब शायद इस बात की भी कुछ चर्चा करनी चाहिए कि अगले वर्ष घाटे की वित्त-व्यवस्था कितनी की जा सकती है। घाटे की वित्त-व्यवस्था का परिणाम बजट की आवश्यकताओं के रूप में नहीं निर्धारित किया जा सकता। उसका निर्धारण उत्पादन की सम्भाव्य वृद्धि को और लोगों की बचत करने की आदत को देखते हुए अर्थव्यवस्था की

आवश्यकताओं के आधार पर करना पड़ता है। हर बात का विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि अगले वर्ष बजट सम्बन्धी घाटा मोटे तौर पर उतना ही रखा जाय जितना इस वर्ष रखा गया है तो मूल्यों को स्थिर रखने और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाये रखने में सम्भवतः अधिक से अधिक तालमेल बैठेगा।

23. इसी भूमिका के आधार पर मैं अब अगले वर्ष के लिए साधन एकत्र करने के अपने प्रस्ताव पेश करता हूं। ये प्रस्ताव तैयार करने में मैंने आयोजना-परिव्यय का कोई वांछित स्तर पहले निश्चित करने और तब तक आवश्यक साधन जुटाने का आसान तरीका नहीं अपनाया है। कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनसे अधिक साधन, अर्थव्यवस्था का काम बिगाड़े बिना, थोड़ी अवधि में नहीं जुटाये जा सकते। वार्षिक बजट में किसी वर्ष की आवश्यकताओं का ही नहीं, बल्कि दीर्घकालीन विकास की आवश्यकताओं का भी, समान रूप से, विचार करना पड़ता है। अन्य शब्दों में, जो तरीका अपनाना आवश्यक है वह यह है कि सरकार में—बल्कि सामान्य अर्थ-व्यवस्था में—क्रमशः बढ़ते हुए विकास-व्यय का बोझ बरदास्त करने की क्षमता पैदा करने के लिए करों के ढांचे में जो परिवर्तन करना आवश्यक और व्यवहार्य हों वे किये जायं और इस प्रकार कुल जितने साधन प्राप्त हो सकें उनकी सीमा के अन्दर छोटी अवधि के लिए व्यय के प्रस्ताव किये जायं।

24. माननीय सदस्य अब यह जानने के लिए स्वभावतः उत्सुक होंगे कि मैं अपनी ही कसौटियों पर कितना खरा उतरता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे मेरे बारे में अपनी राय कायम करते हुए मेरे प्रति वही उदारता का भाव रखेंगे जो वित्त-मन्त्रियों के प्रति आमतौर पर रखा जाता है तथा मुझे उससे केवल इस कारण वंचित नहीं करेंगे कि इस सभा में अपनी ही कसौटियों पर कसे जाने की यह कठिन स्थिति मेरे लिए कोई नयी बात नहीं है।

25. स्थूल रूप से मेरे कर-सम्बन्धी प्रस्तावों के ये उद्देश्य हैं—

(क) जहां तक जरूरी समझा जाय, खासकर निर्यात, बचत और मूल उद्योग-धन्धों के आधुनिकीकरण के काम में प्रोत्साहन देना;

(ख) असंगतियों को दूर करना;

(ग) कर-प्रणाली को तर्कसंगत और सरल बनाने की और व्यवस्था करना;

(घ) करों से बचने और आमदनी छिपाकर या और किसी तरह से कर देने के रास्ते बन्द करना;

(ङ) जिन वस्तुओं या जिन आमदनियों पर अब तक कर नहीं लगाया गया है या बहुत कम कर लगाया गया है उन वस्तुओं की खपत की आवश्यकता या उन आमदनियों से कर देने की क्षमता का विचार करके उन पर कर लगाकर कर-भार को अधिक समान रूप से फैलाना;

(च) सामान्यतः कर प्रणाली को आर्थिक विकास के हित में अधिक अनुकूल बनाना।

इससे पहले कि माननीय सदस्य यह सोचें कि मैं अब उनके लिए भोजन परसने ही वाला हूं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके लिए समय-समय पर क्षुधावर्धक चीजें लाता रहूंगा। मैं यहां मुख्य-मुख्य चीजें ही पेश करूंगा। छोटी-छोटी चीजें व्याख्यात्मक ज्ञापन से ली जा सकती हैं।

सीमा-शुल्क

26. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूपी देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं उसके आगे नैवेद्य के रूप में निर्यात-शुल्क संबंधी रियायतें रखना चाहता हूं। मैं जूट हेसियन के निर्यात-शुल्क को 500 रुपए प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 200 रुपया प्रति मेट्रिक टन करना चाहता हूं। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि जूट के टाट (जूट सैकिंग) का निर्यात-शुल्क 250 रुपए प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 150 रुपया प्रति मेट्रिक टन कर दिया जाय तथा वूल सैक और काटन बैगिंग का निर्यात-शुल्क हटा दिया जाय। चाय का निर्यात-शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत प्रति किलोग्राम से 15 प्रतिशत प्रति किलोग्राम किया जा रहा है और उस पर दी जाने वाली छूट बढ़ाकर 35 पैसे प्रति किलोग्राम से 55 पैसे प्रति किलोग्राम की जा रही है। चरबी रहित कच्चे ऊन पर और धातु के डिब्बों में बन्द चाय पर लगा हुआ निर्यात-शुल्क भी हटाया जा रहा है और दूसरे प्रकार के डिब्बों में बन्द चाय का निर्यात-शुल्क 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जा रहा है। जो अबरक छोटे खुले टुकड़ों के रूप में होता है उसका निर्यात-शुल्क 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया जा रहा है। निर्यात-शुल्क में की जाने वाली इन कमियों से राजस्व में प्रतिवर्ष 23 करोड़ रुपए की कमी होगी।

27. हम शौकीनी की सभी चीजों पर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार आयात शुल्क लगाते हैं। विदेशों से मंगायी जाने वाली मोटर-गाड़ियों पर 60 प्रतिशत आयात-शुल्क है। मेरा प्रस्ताव है कि विदेशों से मंगायी जाने वाली मोटर-गाड़ियों के आयात-शुल्क को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करके हैसियत की निशानी के रूप में उनका मूल्य बढ़ा दिया जाय। जहां तक सुखाये हुए फलों का सम्बन्ध है, आयात-शुल्क निर्धारित करने के लिए किया जाने वाला उनका मूल्यांकन अवास्तविक है। मैं चाहता हूं कि उनके मूल्यांकन के लिए अधिक वास्तविक आधार अपनाया जाय जिसके परिणाम-स्वरूप शुल्क की वसूली बढ़ जायगी। लुब्रिकेटिंग तेलों का आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत से $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत किया जा रहा है ताकि यह मशीनों के आयात-शुल्क के बराबर हो जाय, जिनमें ये तेल इस्तेमाल किये जाते हैं, और देश में इस प्रकार के तेलों का उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिले। इन परिवर्तनों से 6.2 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

28. जब किसी वस्तु पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है तब हम उस पर प्रतिसन्तुलन-कारी (काउण्टरवेलिंग) आयात-शुल्क लगाते हैं। हमें उत्पादन-शुल्क वाली किसी वस्तु में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे माल और संघटक भागों पर उत्पादन-शुल्क के बदले प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क लगाने का अधिकार है। पर जब वस्तु पर ही उत्पादन-शुल्क न लगा हो तब हमें ऐसा

अधिकार नहीं है । मैं इस त्रुटि को दूर करने का अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं ताकि विदेशों से मंगायी जाने वाली चीजें देश में बनाने के लिए बढ़ावा मिले । बेयरिंग, जहाजों के सामान और व्यक्तिगत उपयोग के लिए डाक या हवाई जहाज द्वारा बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों जैसे कुछ मामलों में, उपयोग के अनुसार दरें या वर्गीकरण बहुत ज्यादा होने के कारण, बेमतलब की देर और परेशानी होती है । मैं इस कठिनाई को भी दूर करना चाहता हूं ।

उत्पादन-शुल्क

29. उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में अब सामान्यतः यह माना जाता है कि मूल्यानुसार शुल्क परिमाण-शुल्कों से अधिक युक्तिसंगत हैं क्योंकि परिमाण-शुल्कों का भार, जब मूल्य बढ़ते हैं तब घटता है और जब मूल्य घटते हैं तब बढ़ता है ; मूल्यानुसार शुल्क लागत और कीमत घटाने के लिए भी प्रेरणा दे सकते हैं । इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सीमेण्ट, बनास्पती, बिजली के पंखों, बिजली के लट्टुओं और ट्यूबों, साबुन, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और सोडियम सिलिकेट पर लगे हुए वर्तमान परिमाण-शुल्कों को मूल्यानुसार शुल्कों में बदल दिया जाय । पूर्णांकन (राउंडिग) की आवश्यकता के बावजूद मैंने ऐसा करके राजकोष के लिए काफी रकमें प्राप्त करने के लोभ का संवरण किया है ।

30. पर प्रत्येक नियम का अपवाद होता है । इस नियम को सिद्ध करने के लिए अपवाद निश्चित करने में एक विशेष परिस्थिति से मुझे सहायता मिली है । इस समय, नियन्त्रित मूल्य पर दी जाने वाली चीनी की एक कीमत है और खुले बाजार में मिलने वाली चीनी की और कीमत है । यह स्पष्ट है कि जब चीनी के वर्तमान परिमाण-शुल्क को मूल्यानुसार शुल्क में बदल दिया जायगा तब शुल्क की दो दरें हो जायंगी । इन दो दरों में से एक दर चुनने में मैंने नियंत्रित मूल्य पर दी जाने वाली चीनी की कुछ तरफदारी की है जिस पर लगे हुए वर्तमान बुनियादी और अतिरिक्त शुल्कों की मूल्यानुसार दर औसतन लगभग 23 प्रतिशत निकलती है । मैंने यह दर सभी दानेदार चीनी पर लगायी है । इस प्रकार, नियंत्रित चीनी की औसत कीमत में कोई फेरबदल नहीं होगा और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी कीमत में बहुत थोड़े परिवर्तन होंगे । इसी प्रकार, खांडसारी पर 12.5 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर लगायी जा रही है और वर्तमान संयुक्त (कंपाउंडिंग) दरों में उपयुक्त फेरबदल किया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि जिस मूल्यानुसार दर से नियंत्रित चीनी पर शुल्क लगाने का विचार है उसी दर से खुले बाजार में मिलने वाली चीनी पर शुल्क लगाये जाने पर माननीय सदस्य सिर्फ इस कारण आपत्ति नहीं करेंगे कि इससे प्रसंगवश 27.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

31. मेरा प्रस्ताव है कि घरों में इस्तेमाल किये जाने वाले बिजली के उल्लिखित उपकरणों पर और परिरक्षित (प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों पर 10 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से उत्पादन-शुल्क लगाया जाय । माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष क्राउन कार्कों पर (बोतलों आदि का मुंह बन्द करने के कागों पर) 1 पैसा प्रति कार्क शुल्क लगाया गया था । अब

मेरा यह प्रस्ताव है कि यह शुल्क बोतलों और पात्रों का मुंह बन्द करने के अन्य प्रकार के ढकनों पर भी लगा दिया जाय। बिजली के उपकरणों, परिरक्षित खाद्य पदार्थों और चौर्यरक्षित (पिल्फर प्रूफ) ढकनों पर लगाये जाने वाले इन उत्पादन-शुल्कों से 4 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

32. माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों को कृषि तथा अनुसन्धान, सिंचाई की सुविधाओं और रासायनिक खाद के कारखानों में किये गये हमारे बड़े-बड़े निवेशों, गावों में लगायी गयी बिजली, ऋण-सुविधाओं और मूल्यों को गिरने से रोकने की हमारी नीति से लाभ होता है उन्हें अपने लाभ का कुछ हिस्सा आम विकास के खर्च के लिए दे देना चाहिए। यह इस कारण और भी अधिक आवश्यक है कि अभी हमारे अधिकतर किसानों को, खास कर सूखे प्रदेशों में, जहां रासायनिक खाद और नये बीज इस्तेमाल करना आसान नहीं है, समुन्नत उद्योग-विद्या (टेक्नालाजी) का लाभ नहीं मिल सकता। इसी प्रकार, शक्ति-चालित पम्पों से पानी को ऊपर चढ़ाकर सिंचाई करने की सुविधाओं का विस्तार सर्वत्र समान रूप से नहीं हुआ है। यदि नयी कृषि उद्योग विद्या का लाभ क्रमशः हमारे अधिकाधिक किसानों को पहुंचाना है, तो इस काम के लिए आवश्यक साधन इस काम से लाभ उठाने वालों से, कम से कम अंशतः, प्राप्त होने चाहिए। इस आधार पर मेरा यह प्रस्ताव है कि रासायनिक खादों पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पादन-शुल्क और शक्ति-चालित पंपों पर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पादन-शुल्क लगाया जाय। इन शुल्कों से 24 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से 22 करोड़ रुपया रासायनिक खाद के शुल्क से मिलेगा।

33. अब मुझे फिर क्षुधावर्धक वस्तुएं पेश करनी चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कठिनाई का समय है। इसलिए उत्पादन-शुल्क में कुछ राहत देना जरूरी है। सादी सीधी रीलों की लच्छियों के रूप में होने वाले सूत पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क कुछ सूत्रांकों (काउण्ट) के सम्बन्ध में हटा दिया जा रहा है और कुछ अन्य सूत्रांकों के सम्बन्ध में घटाया जा रहा है। इससे हथकरघा क्षेत्र को लाभ होना चाहिए। बिजली के करघे के क्षेत्र को, कलफ लगाने पर लगा हुआ भिन्नक शुल्क (डिफरेंशल ड्यूटी) हटा दिये जाने से लाभ होगा, यद्यपि कुछ सूत्रांकों के; बिना कलफ के बारीक (फाइन) और बहुत बारीक (सुपरफाइन) सूत का उत्पादन-शुल्क बढ़ाया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि धूसर (ग्रे) कपड़े पर लगा हुआ उत्पादन शुल्क हटा दिया जाए और परिष्करण (प्रोसेसिंग) सम्बन्धी अधिभार मीडियम ए और अनियंत्रित मीडियम बी की सभी किस्मों के कपड़े और मोटी किस्मों के कपड़े पर प्रति वर्ग मीटर पांच पैसे घटा दिया जाय। इस राहत से सूती कपड़े की कमजोर मिलों को बहुत लाभ होगा। कुल प्रस्तावित राहत की रकम 15.30 करोड़ रुपया होगी।

34. पर इस हानि में से 9.5 करोड़ रुपये की पूर्ति नियंत्रित किस्मों के छपे कपड़े को छोड बहुत बारीक तथा बारीक किस्म के छपे कपड़े पर 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर और दूसरी सब किस्मों के छपे कपड़े पर 2.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर का और ऊंचा शुल्क लगाकर तथा ज्यादा

कीमती किस्मों के कपड़ों, जैसे 'सूट', के कपड़ों, परदे और सजावट के कपड़ों, टर्किश तौलियों और दूसरे कपड़ों पर, जिन पर इस समय उनकी कीमत को देखते हुए शुल्क का भार कम है, छंटाई के आधार पर, 15 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगाकर, की जायगी। इसके अलावा, बिजली के करघों के कपड़ों पर लगे हुए वर्तमान संयुत (कम्पाउण्डेड) शुल्क को दुगना करने और कपड़े के टुकड़ों (फेण्ट) पर लगे हुए शुल्कों को युक्ति-संगत करने का भी मेरा विचार है।

35. नीचे के 'डेनियरों' के नाइलान के धागे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क घटाया जा रहा है और इससे होने वाली हानि की कुछ पूर्ति कतिपय ऊंचे 'डेनियरों' के नाइलान के धागे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क कुछ बढ़ाकर की जायगी। इस घट-बढ़ का परिणाम यह होगा कि राजस्व 3.9 करोड़ रुपया कम हो जायगा। इस रियायत से नाइलन के धागे का चोरी से देश में लाया जाना बंद करने में सहायता मिलेगी। नाइलन के धागे का चोरी से लाया जाना बड़ी चिंता का विषय हो गया है।

36. 'कनफेक्शनरी' पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क घटाकर 80 पैसे प्रति किलोग्राम से 30 पैसे प्रति किलोग्राम किया जा रहा है, पर चाकलैटों पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क नहीं घटाया जा रहा है। रेडियो-निर्माताओं द्वारा संघटकों के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले इलैक्ट्रानिक वाल्वों, ट्रान्जिस्टरों और सेमीकण्डक्टर डायोडों पर लगा हुआ शुल्क घटाकर आधा कर दिया जा रहा है। संगठित क्षेत्र के बड़े-बड़े निर्माताओं द्वारा बनाये जाने वाले कम कीमत वाले रेडियो सेटों पर 10 रुपया प्रति सेट शुल्क लगेगा। बिजली की भट्ठियों के मालिकों द्वारा रद्दी लोहे से बनाये जाने वाले इस्पात के डलों और अन्य चीजों के सम्बन्ध में, डलों पर लगे हुए उत्पादन शुल्क की सीमा तक, छूट देने का मेरा विचार है। कसीदे पर लगाया गया उत्पादन-शुल्क घटाया जा रहा है क्योंकि उसका भार बहुत अधिक साबित हो रहा है। मैं अच्छे आधार पर इस विषय में आश्वस्त हूं कि सिनेमा की अस्त-व्यस्त दुनियां में अधिकतम निपुणता उन लोगों को प्राप्त है जो काले और सफेद का विचार करने के अभ्यस्त हैं। इसलिये मैं काली और सफेद सिनेमा फिल्मों को कुछ राहत देना चाहता हूं और रंगीन फिल्मों का शुल्क-भार बढ़ाना चाहता हूं। कच्ची सिनेमा फिल्मों पर भी दो पैसे प्रति मीटर का नाममात्र शुल्क लगाना चाहता हूं। कनफेक्शनरी, रेडियों के संघटक भागों, रद्दी लोहे से बनाये जाने वाले इस्पात के डलों, कसीदे और सिनेमा फिल्मों के सम्बन्ध में दी गई कई प्रकार की रियायतों का परिणाम कुल मिला कर यह होगा कि राजस्व 3.13 करोड़ रुपया कम हो जायगा।

37. अब फिर अधिक परिचित चीजों की चर्चा करता हूं। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है जब सर्वत्र और बहुत समय से अप्रत्यक्ष कर का बोझ इमानदारी से उठाने वाली चीजों में से कुछ को, जैसे सिगरेटों और मोटर स्पिरिटों को उन पर प्रति वर्ष लादे जाने वाले बोझ से मुक्त किया जाना चाहिये। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि शुल्क यथेष्ट रूप से बढ़ाये जायें। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैंने अपने पिछले दो बजटों में इस सम्बन्ध में यथेष्ट कार्रवाई नहीं की। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि मोटर स्पिरिट पर लगा हुआ

उत्पादन-शुल्क 7 पैसे प्रति लिटर बढ़ा दिया जाय और सिगरेटों पर लगे हुए उत्पादन-शुल्क में, विभिन्न मूल्य खण्डों में, मूल्यानुसार 6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाय। इससे 29.84 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। बढ़िया किस्म का मिट्टी का तेल मोटर के ईंधन-तेल में अधिकाधिक मिलाया जा रहा है। इसलिए उसका उत्पादन शुल्क भी 4 पैसा प्रति लिटर बढ़ाया जा रहा है। इससे 14.40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

38. जूट की बनी चीजों पर लगा हुआ बुनियादी उत्पादन-शुल्क 100 रुपया प्रति मेट्रिक टन बढ़ाया जा रहा है। इस वृद्धि से 4.95 करोड़ रुपया का राजस्व प्राप्त होगा। सेल्यूलोजी रेशे (स्टेपुल फाइबर) पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क 20 पैसे प्रति किलोग्राम और गैर-सेल्यूलोजी रेशे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क 12 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ाया जा रहा है। रेयन के धागे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क औद्योगिक डैनियरों को छोड़ अन्य सभी डैनियरों में वर्तमान दरों का लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है और रेयन के धागे के बड़े उत्पादकों की तुलना में छोटे उत्पादकों को शुल्क की दरों में जो रियायत मिलती है वह भी घटायी जा रही है। कृत्रिम रेशों और धागे के सम्बन्ध में किये गये इन प्रस्तावों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 9.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। ऊन के धागे के शुल्क को वहां से हटाकर ऊन की पूनियों पर लगा देने का भी मेरा इरादा है; प्रारम्भ में मैं ऊन की पूनियों पर थोड़ा-सा शुल्क लगा रहा हूं जिससे 6 लाख रुपया प्राप्त होगा।

39. उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में किये गये सब प्रस्तावों और कुछ छोटी-मोटी विविध बातों का सम्मिलित परिणाम यह होगा कि पूरे वर्ष में 104.57 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से 79.95 करोड़ रुपया केन्द्र को मिलेगा और 24.62 करोड़ रुपया राज्यों का हिस्सा होगा। उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में किये गये प्रस्तावों के परिणामस्वरूप प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टरवेलिंग) शुल्क से मुख्यतः रासायनिक खाद के आयात पर लगे हुए प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क से 26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

40. निर्धारिती द्वारा उत्पादन-शुल्क की रकम स्वयं हिसाब लगाकर निकाले जाने और माल हटाये जाने की जो योजना जून, 1968 से जारी की गयी है वह अच्छी तरह अमल में आयी है और मैं उसे यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र उत्पादन-शुल्क वाली अधिकतर वस्तुओं पर लागू करना चाहता हूं।

प्रत्यक्ष कराधान

41. निगम कराधान के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि नये औद्योगिक उपक्रमों और जहाजों को दी गयी कर-अवकाश सम्बन्धी रियायत (टैक्स हालिडे कंसेशन) की अवधि, 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1976 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दी जाय। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि विकास छूट सम्बन्धी सुपरिचित साधन को समाप्त करने या उसके स्थान पर कोई दूसरा नया साधन अपनाने की जरूरत नहीं है। इसलिये विकास छूट सम्बन्धी रियायत

दिया जाना जारी रहेगा पर 31 मार्च, 1970 से बाद लगायी जाने वाली मशीनों और संयंत्रों के सम्बन्ध में विकास छट कानून में पहले से निर्धारित की गयी कम दरों पर दी जायगी। बहु-जनधारित देशी कम्पनी द्वारा अर्थात्—जिस देशी कम्पनी के शेयर अधिक लोगों के पास हों उसके द्वारा देय कुल निगमकर की अधिकतम सीमा जो कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में उस कम्पनी की कुल आय का 70 प्रतिशत निर्धारित की गयी है, अब अर्थहीन हो गयी है। पर लोगों को उससे गलतफहमी होती है जैसे यह अप्रभावी सीमा भी कोई प्रचलित दर हो। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि यह सीमा अब समाप्त कर दी जाय। अब वे पब्लिक कम्पनियां जिनके शेयर मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों की सूचियों में दर्ज हों बहुजनधारित कम्पनियां मानी जायंगी।

42. विदेशों से वही उद्योग-विद्या बार-बार प्राप्त करने में ज्यादा से ज्यादा कमी करने और वस्तुतः देश में तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिये मेरा यह प्रस्ताव है कि उन भारतीय कम्पनियों की आय पर, जो ऐसे ज्ञान को बेचकर या उसके द्वारा सेवा करके कमाई करती हैं, रियायती आधार पर कर लगाया जाय। हमारे देश के दो महत्वपूर्ण निर्यात-सहायक उद्योगों अर्थात्—सूती और जूट वस्त्र उद्योगों को आधुनिक बनाने में प्रोत्साहन देने के लिये मैं इन दोनों उद्योगों को विकास छूट देने के उद्देश्य से प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

43. आयकर अधिनियम तथा उससे सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने के लिए एक विस्तृत विधेयक संसद के इस अधिवेशन में बाद में, पेश करने का मेरा विचार है। इस विधेयक में मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि जिन भारतीय कम्पनियों को इस समय मूल्यह्रास सम्बन्धी छूट तथा अन्य छूटें पाने का अधिकार नहीं है उनके द्वारा प्रोत्साहन, प्रयोजना रिपोर्ट, मंडियों की खोज आदि के लिये किया गया व्यय, 10 वर्ष-की अवधि में, उनकी कर-योग्य आमदनी में से घटा दिया जाय। इस प्रकार घटायी जाने वाली रकम प्रायोजना की लागत के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग तक सीमित होगी। मूल्यह्रास के लिये विभिन्न प्रकार की मशीनों के वर्गीकरण करने का तरीका काफी सरल बनाया जा रहा है और मशीनों तथा संयंत्रों के मूल्यह्रास के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट की सामान्य दर बढ़ाकर 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की जा रही है।

44. व्यक्तिगत आय कर की दरों में क्रमिक वृद्धि करने के उद्देश्य से 10,001 रुपये से 15,000 रुपए तक की आमदनियों के कर की दर में 2 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि करने अर्थात् उसे 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने और 15,001 रुपए से 20,000 रुपए तक की आमदनियों के कर की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने अर्थात् उसे 20 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत करने का मेरा प्रस्ताव है। इन वृद्धियों का पूरा प्रभाव उन कर-दाताओं पर पड़ेगा जिनकी आय प्रतिवर्ष 20,000 रुपया या उससे अधिक होगी। बुनियादी आयकर के 10 प्रतिशत के अधिभार (सरचार्ज) को मिलाने पर इस प्रकार के प्रत्येक मामले में अतिरिक्त कर की रकम 275 रुपया प्रतिवर्ष होगी। आय कर की दरों में किये गये इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 13.82 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

45. सहकारी समितियों पर लगाये जाने वाले करों को सरल और युक्तिसंगत बनाने का मेरा प्रस्ताव है। रजिस्टर्ड फर्मों के सम्बन्ध में 10,001 रुपए से 25,000 रुपए तक की आमदनियों का एक और खण्ड बना कर ऐसी फर्मों पर किये जाने वाले कराधान में थोड़ी सी वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है। उपर्युक्त आयखण्ड की फर्मों पर लगने वाले बुनियादी आयकर की दर 4 प्रतिशत होगी। इस परिवर्तन से पूरे वर्ष में 4.32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

46. लेखकों, कलाकारों, नाट्यकारों, गायकों और अभिनेताओं को मैं विशेष प्रसन्नता का समाचार देना चाहता हूं। उनकी व्यावसायिक आय का जो उन्हें विदेशी स्रोतों से विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त होगी, 25 प्रतिशत भाग कर-योग्य आय में से घटा दिया जायगा। यदि मेरे इस प्रस्ताव से माननीय सदस्य यह समझें कि इसके कारण हमारी सांस्कृतिक क्षति होगी तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि सर्वोत्तम वस्तुएं निर्यात के लिये होती हैं।

47. माननीय सदस्य जानते ही हैं कि वास्तविक निदेशकों में सामान्य शेयरों में धन लगाने की रुचि फिर से पैदा हुई है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय कम्पनियों से लाभांश के रूप में होने वाली आय के लिये कर से छूट देने की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 500 रुपये से 1000 रुपये प्रतिवर्ष करने का मेरा प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से भारतीय कम्पनियों के शेयरों में लगायी जाने वाली पूंजी यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में लगायी जाने वाली पूंजी के बराबर हो जायगी। जीवन बीमा की किस्तों के सम्बन्ध में इस समय कर में दी जाने वाली राहत का क्षेत्र बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है।

48. कृषि-सम्बन्धी सम्पत्ति पर अभी तक सम्पत्ति कर नहीं लगता। इस सुविधा से अधिक धनी व्यावसायिक तथा व्यापारिक वर्गों को जमीन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिला है। माना कि इससे कभी कभी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु सामान्य अर्थ-व्यवस्था में यह कदापि न्यायसंगत नहीं है कि अन्य उत्पादनकारी सम्पत्ति पर तो कर लगाया जाय पर कृषि भूमि सम्बन्धी सम्पत्ति को कर से छूट दी जाय। महान्यायवादी ने मुझे परामर्श दिया है कि संसद को कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर लगाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तदनुसार सम्पत्ति कर अधिनियम में कृषि-भूमि के मूल्य पर, जिसमें उस भूमि पर या उसके पास स्थित इमारतों का मूल्य शामिल है, सम्पत्ति कर लगाने की व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है। लेकिन खड़ी फसलों, औजारों, और ट्रैक्टरों जैसे उपकरणों पर कोई कर नहीं लगाया जायगा। निर्धारण-वर्ष 1970-71 से प्रचलित दरों पर कर-निर्धारण के लिये कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति दूसरी सम्पत्ति में जोड़ दी जायगी। इस तरीके से पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन मैंने अभी जो कहा है, उसके कारण आगामी वर्ष में राजस्व सम्बन्धी कोई लाभ नहीं होगा। कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर लगाये जाने से होने वाली वास्तविक राजस्व-प्राप्तियां राज्यों को सहायक अनुदानों के रूप में दे देने का

मेरा विचार है । फिर भी मैं विचार करूंगा कि वास्तविक कृषकों को इस उपबन्ध से कैसे छूट दी जा सकती है और मैं वित्त मंत्रालय में उचित समय पर आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करूंगा ।

49. अग्रिम कर अदायगी योजना को अधिक प्रभावकारी और छोटे-छोटे आयकर-दाताओं पर अदायगी का भार कम करने के लिए भी मैं उक्त योजना में कई परिवर्तन करने के प्रस्ताव कर रहा हूं । सम्पत्ति कर अधिनियम के अधीन वास्तविक सम्पत्ति का विवरण न देने और हिसाब-किताब, कागजात आदि पेश न करने के लिये किये जाने वाले जुर्मानों में कुछ परिवर्तन करने का भी मैं प्रस्ताव कर रहा हूं । एक और प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य कारबार के खर्च के लिए अदायगियां करने में बैंकों का अधिक इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की गयी व्यवस्था को ठीक-ठीक चलाने का पक्का प्रबन्ध करना है ।

50. माननीय सदस्य यह जानते ही हैं कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को अपनी पत्नी/पति तथा छोटे बच्चों के नाम अन्तरित करके अपनी आय पर कर लगाये जाने से बच नहीं सकता । फिर भी, अलग एकक के रूप के हिन्दू अविभक्त परिवार पर कर लगाने के लिए बनाये गये विशेष कानूनों का इस्तेमाल करके अक्सर इससे बचा जा सकता है । संशोधन विधेयक में उपयुक्त उपलब्ध करके कर न देने के इस रास्ते को बन्द करने का मेरा विचार है ।

51. मैंने प्रत्यक्ष कराधान में जो परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है उनसे अगले वर्ष कुल मिलाकर केन्द्र को 11 करोड़ रुपये और राज्यों को 2.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

डाक और तार

52. डाक और तार विभाग को अगले वर्ष भी घाटा होगा । इसलिए स्थूल रूप से शुल्क दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर टेलीफोनों और तारों की कुछ शुल्क दरों में अधिसूचित की जाने वाली तारीखों से संशोधन करने का विचार है । बजट पत्रों के साथ एक ज्ञापन भी परिचालित किया जा रहा है जिसमें प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्योरा दिया गया है । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के चार बड़े शहरों में तथा दूसरे टेलीफोन केन्द्रों के लिए टेलीफोन का किराया बढ़ाया जायगा । डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा पर, जो अब तक निःशुल्क थी, अब शुल्क लगाया जायगा । विशेष व्यक्ति (पी०पी०) ट्रंक कालों और निर्धारित समय के ट्रंक कालों के लिए अतिरिक्त शुल्क अब समान रूप से बुनियादी शुल्क का 50 प्रतिशत होगा । बधाई के तारों, बहु-पता तारों और टैलेक्स तथा कुछ और सेवाओं के शुल्क में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है । इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 6.46 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है और यह रकम प्रत्याशित राजस्व घाटे की रकम को पूरा करने के लिये काफी होगी । इन परिवर्तनों के प्रभाव को सरकारी उपक्रमों के कुल आन्तरिक साधनों का अनुमान लगाने के लिए हिसाब में लिया गया है ।

सारांश

53. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मैंने करों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये हैं उनसे अगले वर्ष केन्द्र को लगभग 100 करोड़ रुपये का वास्तविक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसमें से 11 करोड़ रुपया प्रत्यक्ष करों से, 80 करोड़ रुपया उत्पादन-शुल्कों से और निर्यात-शुल्कों में होने वाली 23 करोड़ रुपये की कमी को हिसाब में लेने के बाद, 9 करोड़ रुपया सीमाशुल्कों से मिलेगा। इसके अलावा, 27 करोड़ रुपया राज्यों को प्राप्त होगा।

54. अब मैं संक्षेप में साधनों के सम्बन्ध में केन्द्र की अगले वर्ष की स्थिति बताना चाहता हूं। कर-सम्बन्धी अतिरिक्त प्रस्तावों को हिसाब में लेने के बाद कुल राजस्व अनुमानत: 3,519 करोड़ रुपया होगा जिसमें से 519 करोड़ रुपया राज्यों को और 3,000 करोड़ रुपया केन्द्र को मिलेगा। राजस्व खाते का आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय, जिसमें राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान, ब्याज प्रभार, और रक्षा-सम्बन्धी व्यय शामिल हैं, 2,558 करोड़ रुपया आंका गया है। इस प्रकार आयोजना से भिन्न राजस्व-अधिशेष 442 करोड़ रुपया रहेगा। अनुमान है कि चुकाये जाने वालों ऋणों की रकम घटाने के बाद, बाजार ऋणों और विदेशी ऋणों से अगले वर्ष क्रमश: 106 करोड़ रुपए और 691 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त होगी। विविध ऋण जमा शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले लेन देनों को हिसाब में लेने के बाद और आयोजना से भिन्न पूंजीगत व्यय और ऋणों के लिए—जिनमें संकट के समय काम आने वाले अन्न-भण्डार के लिए निर्धारित की जाने वाली रकम और सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को नकदी हानियां शामिल हैं—व्यवस्था करने के बाद, पूंजी खाते में 1,046 करोड़ रुपया उपलब्ध होगा। इस प्रकार, केन्द्र के बजट में आयोजना के लिए 1,738 करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध होंगे जिनमें घाटे की वित्त-व्यवस्था का 250 करोड़ रुपया शामिल है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जिनमें रेलें और डाक-तार शामिल हैं, अपने साधनों में से आयोजना के लिये अनुमानत: 165 करोड़ रुपया जुटायेंगे। इस प्रकार, राज्यों के साधनों को छोड़ देने पर, अगले वर्ष आयोजना के लिए कुल 1903 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध होगी। इसमें से 615 करोड़ रुपया राज्यों को दी जाने वाली आयोजना-सहायता के लिए और 65 करोड़ रुपया संघीय राज्य-क्षेत्रों को दी जाने वाली आयोजना-सहायता के लिए रखा गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय आयोजना के लिए जिसमें केन्द्र-प्रवर्तित (सेण्ट्रली स्पानसर्ड) योजनाएं शामिल हैं, 1,223 करोड़ रुपया रहेगा।

55. अगले वर्ष के बजट में आयोजना के लिये कुल 1,738 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें से 402 करोड़ रुपया राजस्व-बजट में और 1336 करोड़ रुपया पूंजी बजट में है। राजस्व-खाते में की गयी व्यवस्था में राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए दिये जाने वाले सहायक अनुदानों के रूप में 185 करोड़ रुपये की रकम है। यह रकम अगले वर्ष से दी जाने वाली कुल आयोजना सहायता का 30 प्रतिशत भाग है जबकि इस समय दिये जाने वाले इन अनुदानों की रकम औसतन कुल आयोजना सहायता के 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक होती

है। राजस्व-बजट में आयोजना के लिए की गयी व्यवस्था का शेष भाग संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजना और केन्द्रीय आयोजना के लिए है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए राजस्व खाते और पूंजी खाते दोनों में कुल मिलाकर 117 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

56. अगले वर्ष की केन्द्रीय आयोजना में इस्पात के उत्पादन, बन्दरगाहों, पेट्रो-रासायनिक पदार्थों के लिए, रासायनिक खाद के कारखानों, लोहे के निर्यात के लिए, खानों के विकास और तांबे तथा एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए चालू वर्ष में की गयी व्यवस्था के मुकाबले अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है। मुख्य रूप से परिव्यय में वृद्धि होना इस बात का सूचक है कि चालू योजनाओं का काम अधिक तेजी से किया जा रहा है। तब भी इससे निर्माण-कार्य में लगे उद्योगों, खासकर इंजीनियरी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अन्न रखने के लिये भण्डार बनाने का कार्यक्रम भी तेजी से चलाने का विचार है। किसानों को ऋण देने, खासकर रासायनिक खाद के वितरण और गांवों में बिजली लगाने के संस्थागत प्रबन्ध को, बजट में उसके लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करके, सुदृढ़ किया जा रहा है। परिवार-नियोजन के लिए पहले से अधिक परिव्यय किया जायगा।

57. महोदय, मैं इस बात पर चाहे जितना जोर दूं वह कम ही होगा कि मेरे कर-सम्बन्धी प्रस्तावों पर और अगले वर्ष किये जाने वाले आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय में की जाने वाली कुछ वृद्धि पर इस पृष्ठभूमि से विचार किया जाना चाहिए कि हमारे साधनों पर बहुत अधिक बोझ है। पिछले कुछ वर्षों से राजस्व खाते के अधिशेष में कमी होती रही है। अगले वर्ष केन्द्र के बजट में, करों की वर्तमान दरों के अनुसार, राजस्व में 60 करोड़ रुपये की कमी आंकी गयी है। अतिरिक्त प्रस्तावित कर लगाये जाने पर भी, यह कमी केवल 40 करोड़ रुपये के अधिशेष में परिवर्तित होगी। पूंजी खाते में स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई केवल इस कारण नहीं दिखाई देती कि इस वर्ष होने वाला कुछ आयात अगले वर्ष होने से अन्न-सहायता का स्तर ऊंचा बनाये रखा गया है। ज्यों-ज्यों अन्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी त्यों-त्यों यह साधन क्रमशः घटता जायगा और यदि विकास-सम्बन्धी परिव्यय अनुचित रूप से कम नहीं किया जाना है, तो साधन जुटाने के अन्य उपाय निकालने पड़ेंगे। माननीय सदस्य यह भी महसूस करेंगे कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बनाये रखते हुए और स्वावलम्बन बढ़ाते हुए विकास का व्यापक लक्ष्य केवल बजट-सम्बन्धी नीति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के प्रत्येक क्षेत्र का सुव्यवस्थित सहयोग आवश्यक है। केवल इस प्रकार हम इस महान् राष्ट्र को जनसाधारण की गरीबी को मिटा देने के उस प्रयत्न के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं जो उतना ही फलदायक है जितना कठिन है। मैं इतनी ही आशा कर सकता हूं कि जो बजट पेश करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, वह इस लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ सहायता प्रदान करेगा।

धन्यवाद।

वित्त विधेयक 1969
FINANCE BILL, 1969

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यरूप देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Under Rule 72 of the Rules of Prcedure I want to oppose the Finance Bill on two grounds. I strongly oppose the tax proposals of the Finance Minister in regard to fertilizers and sugar. I challenge the propriety of the tax proposals made by the Finance Minister. You kindly read proviso to Rule 72......

अध्यक्ष महोदय : इस परन्तुक का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य दो-तीन मिनट में अपनी बात कह दें । यह परन्तुक तो तब लागू होता है जब प्रस्ताव का इस कारण विरोध किया जाये कि विधेयक द्वारा ऐसा विधान लाया जा रहा है जो इस सभा के विधायिनी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता ।

Shri Madhu Limaye : That is what I am going to say.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रक्रिया समझना चाहता हूं । हमें विधेयक के पुरःस्थापन के समय उसका विरोध करने का अधिकार है । परन्तु इस मामले में वित्त मंत्री ने अभी-अभी वित्त विधेयक को पुरःस्थापित किया है । अन्य विधेयकों की तरह इसे परिचालित नहीं किया गया है । तब हम कैसे जान सकते हैं कि हमने इसका विरोध करना है अथवा नहीं ।

Shri Madhu Limaye : Kindly hear me. I want so speak against this Bill.

अध्यक्ष महोदय : मैं और तर्क सुनने के लिये तैयार नहीं हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यरूप देने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 3 मार्च, 1969/12 फाल्गुन, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 3, 1969/Phalguna 12, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 14-6-69—600.

P.L.S. 48. XXIV. 10. 69. (N)
600

© 1969 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1969 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed By the Manager, Tej Kumar Press, Lucknow.